रजिस्ट्री सं० डी- (डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

48] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 10, 1976/माघ 21, 1897

48] **NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 10, 1976/MAGHA 21, 1897**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th February 1976

G.S.R. 69(E).—The following draft of certain rules further to amend the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, which the Central Government proposes to make, after consultation with the Drugs Technical Advisory Board, in exercise of the powers conferred by Section 12 and 33 read with clause (b) of section 8 and clause (b) of section 16 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), is published, as required by the said sections for the information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration on or after the expiry of three months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules within the period specified above will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFTS RULES

1. These rules, may be called the Drugs and Cosmetics (Amendment) Rules, 1976.

2. In the Drugs and Cosmetics Rules, 1945, rule 150-A and Scheduled S shall be omitted.

[No. X. 11018/1/72-D]

SHRAVAN KUMAR, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 फरवरी, 1976

सा०का० नि० 69(अ).—केन्द्रीय सरकार औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 8 के खण्ड (ख) और धारा 16 के खण्ड (ख) के साथ पठित धारा 12 और 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में कतिपय और संशोधन करना चाहती है। जैसा कि उक्त धाराओं में अपेक्षित है, प्रस्तावित संशोधनों का निम्नलिखित प्रारूप उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जा रहा है जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है। इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन मास के पश्चात् विचार किया जाएगा।

ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नियमों के उक्त प्रारूप की बाबत जो भी आक्षेप या सुझाव किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे केन्द्रीय सरकार उन पर विचार करेगी।

प्रारूप नियम

1. इन नियमों का नाम औषधि और प्रसाधन सामग्री (संशोधन) नियम, 1976 है।

2. औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 में नियम, 150-क और अनुसूची ध का लोप किया जाएगा।

[सं० एक्स 11018/1/72-डी०]

श्रावण कुमार, संयुक्त सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976